Bhagavati): (a) A sum of Rs. 5·46 lakhs was outstanding on 1-11-1963, out of which Rs. 4·25 lakhs was outstanding for more than six months.

(b) In the case of private subscribers, a Board has been constituted for reviewing periodically the position of outstandings against defaulters whose telephone connections have already been closed. The Board is making special efforts to speed up collections and to take recourse to legal action, where necessary. Government subscribers are reminded and contacted personally by officers at appropriate level to expedite settlement of outstanding bills. The disconnection of telephones of both private and Government subscribers for default in payments is being enforced. Further, the Telephone Revenue Office relating to Orissa Circle is being shifted from Calcutta to Cuttack. This will facilitate collections and pursuit of outstanding.

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली को और वहां से बस-सर्विस

२८३३. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कालोनी रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में लगभग ५०,००० व्यक्ति रहते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि--

(१) रामकृष्णपुरम् से कोई डी० टी० यू० की बस रेलवे स्टेशन, दिल्ली को नहीं जाती है ;

(२) रामकृष्णपुरम और दक्षिण दिल्ली में स्थित एक मात्र कालेज देशबंधु गुप्त कालेज के बीच भी कोई बस सर्विस नहीं है ;

(३) न ही दिल्ली विश्वविद्यालय और रामकृष्णपुरम् के बीच कोई बस सर्विस है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त रास्तों पर कब तक बसें चालू हो जायेंगी ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख) और (ग) रामकृष्णपुरम् में अनुमानतः २५,००० व्यक्ति रहते हैं। रामकृष्णपुरम् और रेलवे स्टेशन, दिल्ली या देश बन्धुगुप्त कालेज या दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच कोई सीधी बस सेवा नहीं है। रामकृष्णपुरम् से काश्मीरी गेट और अजमेरी गेट तक, तथा इन दो स्थानों से रामकृष्णपुरम् तक चलने वाली दो सीधी बस सेवाएं उन सभी स्थानों से होकर जाती हैं जहां से रेलवे स्टेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, देशबन्धु गुप्त कालेज और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों को बस सेवायें चलती हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में यह विचार किया गया है कि इन मार्गों पर सीधी सेवायें चलाना इस समय उचित नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना

२८३४. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न डिपो खुले हुए हैं, क्या उनके द्वारा कार्ड-होल्डरों को भी उनकी निश्चित बोतलों से कम दुध दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि डिपों पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे जानबूझ कर कार्ड-होल्डरों को कम तोल देते हैं और जो बोतलें बचती हैं, उन्हें अलग अधिक मुनाफे पर बेच देते हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि डिपो के कर्मचारी कार्ड में उस तारीख को खाली छोड़ देते हैं और २, ४ दिन के बाद उस खाली खाने को भी काट देते हैं जिससे ग्राहकों को न तो पैसे ही वापिस मिलते हैं और न दूध ही पूरा मिलता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं। दुग्ध कार्ड-होल्डरों की बचत-बद्धता को पूरा करने के लिए दुग्ध डिपो को दूध की अपेक्षित पूरी मात्रा दी जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) से (ङ) दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों के पास इस प्रकार की कुछ शिकायतें आयी थीं। प्रत्येक शिकायत की जांच की गयी थी और प्रत्येक दुग्ध कार्ड होल्डर को देय राशि वापिस कर दी गई थी और सम्बन्धित डिपो प्रबन्धकों को चेतावनी दे दी गयी थी। समस्त डिपो प्रबन्धकों को एक परिपत्र भी १८-४-१९६४ को यह सलाह देते हुए भेजा गया था कि यदि कोई डिपो प्रबन्धक कार्ड होल्डर को दूध नहीं देता है और उसको नकद दाम पर बेचता है, तो उसके विरुद्ध गम्भीर कार्य-वाही की जायेगी, जो कि उसे नौकरी से तुरन्त हटाना भी हो सकता है

दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश

२८३५. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में १०० व्यक्तियों से अधिक का भोज करने पर कोई पाबन्दी लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाबन्दी केवल गेहूं और चावल की बनी चीजों पर ही है अथवा १०० व्यक्तियों से अधिक का भोज किया ही नहीं जा सकता;

(ग) गेहूं और चावल के बने ऐसे कौन-कौन से पदार्थ हैं जिन पर १०० व्यक्तियों से अधिक के लिये भी पाबन्दी नहीं लगाई गई है;

(घ) किन किन मिठाइयों और नमकीन खाद्य पदार्थों पर यह पाबन्दी नहीं लागू होती; और

(ङ) यह पाबन्दी कब से लागू की गयी है और कब तक लागू रहेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). किसी एक दिन में अतिथेय या आतिथेयों सहित एक सौ से अधिक व्यक्तियों को चावल और गेहूं से बने पदार्थों के खिलाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(ग) और (घ). बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, समोसा और मठड़ी पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं है।

(ङ) यह प्रतिबन्ध २८ मार्च, १९६४ से लागू किया गया है और जब तक इसकी आवश्यकता समझी जायेगी तब तक यह लागू रहेगा।

Falling of Persons from Electric Trains at Madras

2836. Dr. P. Srinivasan: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) how many incidents of persons falling from electric trains were reported at Madras during 1962-63 and 1963-64;

(b) how many out of them proved fatal;

(c) whether there is any proposal to instal any automatic device for opening and closing of doors of electric